Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ **www.popularfrontindia.org**

popularfrontmail@gmail.com **011- 29949902**

प्रेस रिलीज़

23 नवंबर 2018

नई दिल्ली

बाबरी मस्जिद मामलाः अदालत को चुनौती देते हुए आपराधिक हरकतों में लिप्त संघ परिवार के नेताओं के खिलाफ कानूनी क़दम उठाने का पॉपुलर फ्रंट का इशारा

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सचिवालय की कालीकट में आयोजित बैठक में संघ परिवार के नेताओं के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला किया गया, जो बाबरी मस्जिद मामले के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीठ पीछे डालते हुए राम मंदिर निर्माण की धमकियों से अदालत की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहे हैं।

बैठक में इस बात की तरफ इशारा किया गया कि आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी और दूसरे नेताओं के बाबरी मस्जिद मामले से संबंधित बयान और दूसरी हरकतें खुलेआम लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायपालिका की सर्वोच्चता को चुनौती दे रही हैं। बजरंग दल ने हाल ही में यह दावा किया है कि वह 25000 कार्यकर्ताओं को भर्ती करके उन्हें हथियार की ट्रेनिंग देगा, जो छोटे से नोटिस पर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। इसी तरह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अदालतों से ऐसे फैसले देने के लिए कहा जिन पर अमल हो सके। यह सभी बयान और दावे आपराधिक रवैये का पता देते हैं, जिन्हें एक आजाद न्यायपालिका के साथ चलने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

पॉपुलर फ्रंट इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके संघ परिवार को अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर निर्माण के नाम पर अदालत का अपमान करने से बाज़ रखने की अपील कर चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, बीजेपी नेता जानबूझकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो कि न सिर्फ मुसलमानों को भयभीत करने की एक कोशिश है, बल्कि देश के सबसे बड़े न्याय संस्थान सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को भी कमजोर करने वाला कदम है। यह लोग जनता और मीडिया को डरा धमकाकर और उन पर दबाव बनाकर अदालत के आखरी फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सेक्युलर ताकतों और विपक्षी पार्टियों ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया है। ऐसे हालात में अगर मुनासिब और प्रभावी तरीके से इनका विरोध नहीं किया गया तो यह हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए संगठन ने ऐसे आपराधिक बयानों और कार्यवाहियों में लिप्त लोगों के खिलाफ, जो कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बाजार गर्म करने के साथ साथ न्यायपालिका और संविधान की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें एम. मुहम्मद अली जिन्ना, ओ.एम.ए. सलाम, अब्दुल वाहिद सेठ और ई.एम. अब्दुल रहमान उपस्थित रहे।

एम मुहम्मद अली जिन्ना
महासचिव,
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया